जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 96 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 8 फरवरी, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'महाराष्ट्र में टोटल वयस्क जनसंख्या से ज्यादा वोटर कैसे हो गये?'

राहुल गांधी ने प्रैस कॉन्फ्रैंस में यह सवाल पूछा, चुनाव आयोग से

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। देश के चुनावी तंत्र से संबंधित चिंता को स्वर देते हुये, कांग्रेस, शिव सेना (यूबीटी) तथा एनसीपी (एसपी) ने आज महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में अनियमितताओं को रेखांकित किया और कहा कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बीच, राज्य में कुल 39 लाख मतदाता जोड़े गये।

अप्रत्याशित रूप से त्वरित प्रतिक्रिया देते हुये, चुनाव आयोग ने कहा कि वह इसका जवाब लिखित में देगा।

यहाँ एक संयुक्त प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुये, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोर देते हुये कहा कि महाराष्ट्र में पिछले दोनों चुनावों के बीच जोड़े गये कुल मतदाताओं की संख्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की जनसंख्या के बराबर है। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह उन्हें मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराये तथा इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करे।

- राहुल ने कहा, सरकारी आकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 9.54 करोड़ वयस्क हैं, जो वोट करने का अधिकार रखते हैं, परन्तु, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ मतदाता बताये गये हैं।
- राहुल ने यह भी कहा कि, लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के पाँच महीने के अंतराल में 39 लाख नाम जोड़े गये वोटर लिस्ट में। यह संख्या हिमाचल की जनसंख्या से ज्यादा है।
- पर, इससे पहले 2019 व 2024 के बीच पाँच साल में कुछ 32 लाख की वृद्धि हुई थी, वोटरों की संख्या में। यह पाँच साल की वृद्धि, विधानसभा चुनाव के पहले के पाँच महीनों में हुई वृद्धि से कम है।
- राहुल का यह भी दावा है कि वोटर संख्या में हुई वृद्धि केवल भाजपा के वोट शेयर में हुई, क्योंकि कांग्रेस, शिव सेना, पंजाब की पार्टी के गठबंधन ने अपना वोट शेयर तो बरकरार रखा।
- राहुल ने चुनाव आयोग से विधानसभा व लोकसभा की वोटर लिस्ट मांगी, जो उन्हें अभी तक नहीं मिली है, अतः वे अब इस मुद्दे पर न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे।

राहुल गांधी ने कहा, "हमारी टीम ने बड़ी सावधानी से मतदाता सूची तथा वोटिंग पैटर्न का अध्ययन किया है और हम पिछले कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, हमें अनेक "अनियमितताएं" मिली हैं। देश और खासतौर से युवाओं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तथा उसके पक्षधर हैं, के लिये इन निष्कर्षों को समझना तथा उनके प्रति सचेत रहना बहुत आवश्यक है।"

उन्होंने जोर देते हुये कहा कि जोड़े गये अधिकांश वोट भाजपा के पक्ष में गये हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों का वोट शेयर यथावत् रहा है।

एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले तथा शिव सेना के संजय राउत के बीच में बैठे राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी आँकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र की वयस्क-जनसंख्या 9.4 करोड़ है, जबकि राज्य के वोटरों की संख्या 9.7 करोड़ है।

एक समाचारी एजेंसी ने उन्हें यह कहते हुये उद्धृत किया कि "2019 के विधानसभा चुनावों तथा 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच के पाँच वर्षों में, 32 लाख वोटर जोड़े गये थे। लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनावों, जिनमें ये पार्टियाँ (कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) तथा शिव सेना (यूबीटी)) चुनाव जीती थीं, और इन विधानसभा चुनावों के बीच के 5 महीनों में 39 लाख वोटर जोड़े गए। प्रश्न यह है कि ये 39 लाख वोटर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने हैरिटेज मेयर के निलम्बन पर जवाब मांगा

जयपुर, 7 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत से जुड़े मामले में हेरिटेज नगर निगम के मेयर पद से मुनेश गुर्जर को निलंबित करने के मामले में राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने ये आदेश मुनेश गुर्जर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता को न तो प्राथमिक जांच से पहले सुनवाई का मौका दिया गया और न ही निलंबन से पहले जवाब

- जस्टिस महेन्द्र गोयल ने मुनेश गुर्जर की याचिका पर राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने को कहा।

पेश करने का समय दिया गया। राज्य सरकार की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के खिलाफ है।

याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया। जबकि अगले तीन दिनों तक सार्वजनिक अवकाश था और चौथे दिन उसे निलंबित कर दिया गया। इसलिए उसके निलंबन आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'गाउन बदल जाने से कोई विशेष अधिकार या लाभ नहीं मिलते'

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों को "सीनियर एडवोकेट" की पदवी देने को गैर कानूनी मानने से इन्कार किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट की पदवी देने का निर्णय लिया था। कोर्ट ने कहा कि किसी भी वकील को उसके गाउन के आधार पर विशेष सुविधा नहीं दी जाती है।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुमपारा और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य श्रेणियों में विभाजित करना संविधानिक समानता का उल्लंघन है।

पीठ ने कहा, "हमें नहीं लगता कि इस कोर्ट में किसी को सिर्फ इसलिए बेहतर ट्रीटमैंट मिलता है, क्योंकि उसके पास अलग गाउन है।"

- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कुछ वकीलों को "सीनियर एडवोकेट" की पदवी देने से वकीलों में असमानताएं पनपती हैं, जो संविधान की दृष्टि से गलत है, कानून की दृष्टि में सभी वकील बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क स्वीकार करते हुए याचिका रद्द कर दी।

सुनवाई के दौरान, नेदुमपारा ने बंबई हाई कोर्ट में मामलों को सूचीबद्ध करने में हो रही देरी पर चिंता जताई, खासकर जमानत आवेदनों को लेकर। इस पर जस्टिस गवई ने जवाब देते हुए कहा कि न्यायाधीश अक्सर लंबित मामलों को निपटाने के लिए देर तक काम करते हैं। उन्होंने कहा, "न्यायाधीश भी इंसान होते हैं। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

जब नेदुमपारा ने त्वरित न्याय के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह दी, तो पीठ ने टिप्पणी की: "अधिक न्यायाधीश नियुक्त करना हमारे हाथ में नहीं है।" याचिका में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 और 23(5) को चुनौती दी गई थी, जिसमें यह तर्क किया गया था कि वकीलों को दो श्रेणियों में बांटना "कुछ विशेष लोगों को फायदे और विशेषाधिकार" प्रदान करता है।

कांग्रेस ने मंत्री किरोड़ी लाल के कॉल टैपिंग के बयान पर दो बार कार्यवाही स्थगित कराई

अपने हाथों में पट्टी बांधकर सदन पहुँचे कांग्रेस विधायकों ने दिन भर नारेबाजी की

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 7 फरवरी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाने का मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में दिनभर गूंजा। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल से लेकर देर शाम तक इस प्रकरण को लेकर सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने वैल में उतरकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हालात ऐसे रहे कि, राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में अपनी बात तक नहीं रखी। जबकि आमतौर पर मुख्यमंत्री के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष द्वारा जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा जाता है।

दरअसल शुक्रवार को जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेसी विधायक अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर सदन में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा अपनी ही सरकार पर फोन टैंपिंग का आरोप लगाने का मुद्दा उठाया। जूली के साथ-साथ विपक्ष के अन्य सदस्य भी खड़े हो गये और सदन में शोरशराबा करने लगे। जूली ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस्तीफे की मांग की। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि, प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण है, आपको जो भी बात कहनी है, शून्यकाल में कहें। परंतु विपक्षी विधायकों ने स्पीकर की बात को नज़रअंदाज करते हुए हंगामा जारी रखा। देखते ही देखते विपक्ष वैल में आ पहुंचा।

- स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दें, शून्यकाल में अपनी बात कहें। पर, विपक्षी विधायकों ने उनकी नहीं सुनी और वैल में आ गये।
- राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बात तक नहीं रखी थी, जबकि आमतौर पर मुख्यमंत्री के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष द्वारा जनहित के मुद्दे उठा कर सरकार को घेरा जाता है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि, राज्य सरकार पर उसी के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं, जो गंभीर विषय है। इसलिए मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जूली ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का फोन टैप हो रहा है। सरकार, सरकार का फोन टैप करा रही है, मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, जब तक मुख्यमंत्री सदन में जवाब नहीं देंगे, कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शारीरिक शिक्षकों को हटाने से पहले सुनवाई का मौका दें

जयपुर, 7 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 के आवेदन पत्र में मिसमैच से जुड़े मामले में अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह पीटीआई पद पर काम कर रहे शिक्षकों को मनमाने तरीके से नहीं हटा सकती। इसके साथ ही, अदालत ने उनके

- जस्टिस समीर जैन ने आवेदन पर पत्र में मिसमैच पर अभ्यर्थियों को राहत दी।

खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व दस्तावेजों की जांच करने और अभ्यर्थियों को सुनवाई का मौका देने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश हंसराज गुर्जर व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई के 5546 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें चयन का आधार लिखित परीक्षा थी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में भाग लेकर मेरिट में स्थान प्राप्त किया और उन्हें 15 दिसंबर 2023 को नियुक्ति दी गई। वहीं, विभाग ने गत 24

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सेंट स्टीफन्स कॉलेज, आलकन इंटरनैशनल तथा शिव नाडर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली

ये स्कूल तुरन्त खाली कराये गये, बम की तलाश में जुटा बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड व दिल्ली पुलिस

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। विद्यार्थियों द्वारा अतिवादी साधनों और उपायों का सहारा लेने की खबरें आ रही है, जिनमें बम तथा अन्य दुखद नतीजों की धमकियाँ शामिल हैं। इस प्रकार की खबरें शिक्षा -व्यवस्था में सुधार की त्वरित जरुरत बता रही हैं। भारत में विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव प्राय: बहुत ज्यादा माना जाता है। इस दबाव और तनाव के पीछे कई कारक होते हैं, जिनमें शैक्षिक आशाएं -अपेक्षाएं, माता-पिता का दबाव तथा सफलता के माप के रुप में परीक्षा में प्राप्त अंकों पर समाज का जोर आदि शामिल हैं।

इन सुधारों की त्वरित और घोर आवश्यकता शुक्रवार की सुबह उस समय विशेष रुप से सामने आई, जब दिल्ली और नौएडा की कई प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं को बम की धमकियाँ मिलीं। सेन्ट स्टीफन'स कॉलेज, आलकन इन्टरनेशनल स्कूल तथा शिव नाडर स्कूल को ई-मेल के जरिये

- दो दिन पहले भी ऐसी ही धमकी के कारण एक नवीं क्लास के स्टूडैन्ट को "डिटैन्शन" में रखा गया था। उस विद्यार्थी ने वीपीएन टैक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी पहचान छुपाने का प्रयास किया था तथा स्कूल "अटैन्ड" न करने की चाह से धमकी दी थी।
- ऐसी ही धमकी दिसम्बर 2024 में भी मिली थी तथा टारगेट था, रोहिणी स्कूल।
- युवाओं में यह धमकी देने की प्रवृत्ति, उन पर शैक्षणिक दृष्टि से उत्तम अंक प्राप्त करने के दबाव को ही माना जा रहा है। क्या परीक्षा प्रणाली बदलने की आवश्यकता है?

धमकियाँ मिलीं, जिससे संस्थाओं को तुरंत खाली करना तथा बंद करना जरुरी हो गया। अभिभावकों को सूचना दी गई, तथा जो विद्यार्थी बसों में बैठकर स्कूलों में आ चुके थे, उन्हें वापस घर भेज दिया गया।

अधिकारियों, दिल्ली पुलिस तथा बम -डिस्पोज़ल दस्तों ने गहन खोजबीन की। एक पुलिस बयान के अनुसार, सेन्ट स्टीफन'स कॉलेज को यह धमकी प्रात: 7 बजकर 42 मिनट पर मिली थी, जबकि अन्य संस्थाओं से सम्बंधित जाँच चल रही हैं।

इन घटनाओं के एक दिन पहले, कक्षा 9 के एक विद्यार्थी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने इसी प्रकार की "फेक" धमकियाँ नौएडा के 4 स्कूलों को भेजी थीं। बताया जाता है कि यह विद्यार्थी अपनी पहचान छिपाने के लिये वीपीएन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करता था तथा स्कूल आने से बचता था। पुलिस ने उजागर किया कि हाल ही के महीनों बम की बहुत सारी धमकियाँ, जिनमें दिसम्बर 2024 में रोहिणी स्कूलों को निशाना बनाने वाली धमकियां भी शामिल हैं, उन विद्यार्थियों से जुड़ी पाई गईं, जो परीक्षाएं आगे खिसकवाना चाहते थे।

इस प्रकार के गतिरोधों के कारण, उच्च कोटि के सुरक्षा उपाय करने पड़े हैं तथा बड़े पैमाने पर स्कूलों को तुरन्त खाली करना पड़ा है। अधिकारी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं तथा संस्था-परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

विद्यार्थियों में इस प्रकार के अतिवादी कृत्यों का सहारा लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति उस घोर शैक्षिक दबाव को उजागर करती है, जिससे विद्यार्थी जूझ रहे हैं। प्रतिष्ठित कॉलेजों की सीमित सीटों के लिये जबरदस्त प्रतिस्पर्धा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। शनिवार आठ फरवरी को मतगणना के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंध में दिल्ली पुलिस

- दिल्ली में मतगणना दिवस पर पैरा मिलिटरी फोर्सेज़, दिल्ली पुलिस आदि की कड़ी सुरक्षा की गई है, मतगणना केन्द्रों पर।

कर्मियों के अलावा पैरामिलिटरी फोर्स की दो कंपनियाँ भी शामिल हैं। मतगणना केन्द्रों पर सैलफोन ले जाने की अनुमति नहीं है।

अधिकारियों ने पुष्टी की है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना से पूर्व शनिवार को दिल्ली के समस्त 19 मतगणना केन्द्रों पर "थ्री टियर सिक्युरिटी" के इंतजाम किए गए है। स्पैशल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मतगणना के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कांग्रेस को 20-25 साल भजन करना पड़ेगा'

विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस वोट के लिए चन्द्रमा पर भी प्लॉट काट सकती है

जयपुर, 7 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री के पूरे भाषण के दौरान, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और नारे लगाते रहे। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटने का काम किया। जब भी चुनाव आते हैं, यह झूठ और लूट की नीति शुरू कर देती है। अगर राजनीतिक फायदा होता हो तो कांग्रेस चांद पर प्लॉट देने का वादा करने से भी नहीं चूकेगी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नहीं बोले। इस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित वर्ग से आने वाले नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देने का कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जैसा बर्ताव किया, वैसा टीकाराम जूली के साथ किया। मुख्यमंत्री का भाषण खत्म होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री के पूरे भाषण के दौरान, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और नारे लगाते रहे।

- मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र कर वंचित वर्ग से आने वाले प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया। टीकाराम जूली के साथ नौकर जैसा ही बर्ताव किया, जैसा बाबा साहब के साथ किया था।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधानसभा में जो नारे लगा रहे हैं, उनमें से 40 प्रतिशत भी वापस जीत कर नहीं आयेंगे, क्योंकि ये राजस्थान के आम किसान और मजदूर की बात नहीं सुन सकते।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं ब्याज सहित कर्ज चुकाता हूं, किसी मुगालते में मत रहना। मैं वह नहीं हूं, जो तुम जान रहे हो, पहचानने में गलती कर रहे हो। मैं ब्याज सहित देने वालों में हूं, आपकी गलतफहमी भी निकल जाएगी कि मुख्यमंत्री कैसा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह भजन तो आपको 20-25 साल करना पड़ेगा। आपके हाथ तंबूरा आने वाला है। भजन का नाम तो आपको दिन रात लेना पड़ेगा। आपको नींद नहीं आएगी। इनको भजन के बिना नींद नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा- कांग्रेस के लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में आगे 25-30 साल भी सत्ता में आने वाली नहीं है। शर्मा ने कहा कि आज जो नारे लगा रहे हैं, इनमें से 40 प्रतिशत लोग भी वापस जीतकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये राजस्थान के आम किसान और मजदूर की बात नहीं सुन सकते। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुलाकर कहा कि आपके इलाके में जनता के कौन-कौन से काम हैं, बता दीजिए। मैंने विपक्ष के नेताओं के इलाकों में भी काम करवाने के लिए बजट दिया।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारे कई साथी कह रहे थे कि पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना (ईआरसीपी) का नाम बदल दिया। अरे राजस्थान का 'रा' और मध्य प्रदेश का 'म' मिलकर अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका से पहले फ्रांस जायेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नयी दिल्ली, 07 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर 12 एवं 13 फरवरी को वाशिंगटन की यात्रा करेंगे। मोदी 10 एवं 12 फरवरी को फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ सह

- फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन में वे राष्ट्रपति मैक्रॉं के साथ सह-अध्यक्षता करेंगे।

अध्यक्षता करेंगे और वहीं से वाशिंगटन रवाना हो जाएंगे।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के शपथ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)